स्वर्णरेखा

नाले में तब्दील हुई सोना उगलने वाली नदी

अनुपमा

सोना उगलने वाली नदी, आज पूरी तरह नाले में तब्दील हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वर्णरेखा नदी की। झारखंड की राजधानी रांची से मात्र 16 किमी दूर राष्ट्रीय उच्च पथ 23 (नेशनल हाईवे 23) पर स्थित है पिस्का नगड़ी। यहां से तकरीबन 15 किमी दक्षिण में एक जलकुंड है। यही है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल। इसे हम रानीचुआं के नाम से जानते हैं। इसी कुंड से प्रवाहित जल आगे चलकर विशाल स्वर्णरेखा का रूप धारण करती है। स्थानीय लोगों ने इसे वर्षों पूर्व कुंआ का रूप दे दिया है। इस स्थान की खासियत यह है कि पिस्का नगड़ी के अगल-बगल के क्षेत्रों से ही कोयल और कारो नदी का भी उद्गम है। रानीचुआं पांडू गांव में है।

लोक गाथा है कि महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय यहां गुजारा था। तब यहां विशाल जंगल हुआ करता था। जब पांडवों को प्यास लगी तो अर्जुन ने बाण चलाकर जल निकाला था। एक किदवंती यह भी है कि पहले एक राजा का महल था और उस महल के अंदर ही अंदर एक सुरंग थी जिसका निकास इस जलकुंड में था। इसी जलकुंड में महल की रानी स्नान करती थी। इसी कारण जलकुंड का नाम रानीचुआं पड़ा। परंतु इसका कोई प्रत्यक्ष प्रणाम नजर नहीं आता है।

हां, यह जरूर सत्य है कि तकरीबन 100 वर्ष पूर्व यह जलकुंड एक लकड़ी के पीपे से बहता था। (कई आदिवासी बहुल स्थलों पर आज भी कायम) तमाड़ में पुल टूटने से नदी का प्रवाह रूक गया है। इंवायरमेंटर लॉ के अनुसार नदियों के प्रवाह को रोकना कानूनन अपराध है। कचड़ों से स्वर्णरेखा पटती जा रही है। कई स्थानों पर तो कूड़ा-कचड़ा नदी के किनारे फेंका जा रहा है। जो सीधे नदी में गिरकर बह रहा है और उसके प्रवाह को रोक रहा है। नदी में जल तो दिखायी ही नहीं देती मानो वह कचड़े और प्लास्टिक की नदी हो। नदियों के कैचमेंट एरिया के कम होने का एक प्रमुख कारण यह भी है। नदी में कोयले और छाइयां बहायी जा रही है। जो इसके गति को अवरोधित कर रही है। गति के अवरोध की वजह से नदी में जलकुंभी पट गयी है। दिन-प्रतिदिन इसमें कचडे और केमिकल की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसे रोकने के लिए स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना भी बनायी गयी थी और अब पुनः इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है।

स्वर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना दो बंधों, दो वराजों और 7 नहरों की एक समन्वित परियोजना थी। इस योजना का कुछ हिस्सा उड़ीसा में भी

इसी पीपे में एक सोने की हथेली थी, जिसमें पांच उंगलियों के निशान थे। यही स्वर्णरेखा कहलाया। दूसरा सत्य यह है कि स्वर्णरेखा के जल में स्वर्ण कण पाये जाते हैं। और कई स्थानों पर आज भी लोग मैनुअली (पारंपरिक तरीके से) स्वर्ण कण निकालते हैं। पंचपरगना क्षेत्र यानी की बुंडू, तमाड़ और सोनाहातू गांवों के लोग आज भी सोना नदी से निकालते हैं। इसकी प्रक्रिया जटिल जरूर है और उसकी कीमत भी उन्हें नहीं मिलती है। परंतु सोने के कण जरूर निकलते हैं। इन क्षेत्रों में सघन वन हैं और तथाकथित रूप से नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं। इसलिए इन इलाकों में जाना और इसे पाना सुगम व सुलभ नहीं है। जो ग्रामीण यह कण निकालते हैं वे आज भी गरीबी की मार झेल रहे हैं और कौड़ियों के मोल इसे बेच देते हैं।

अब यह इतना आसान भी नहीं रहा क्योंकि स्वर्णरेखा मैली हो गयी है। नाले में तब्दील हो गयी है। स्वर्णरेखा को प्रदूषित करने का काम हटिया के निकट से शुरू हो जाता है। जहां एचईसी कारखाने की गंदगी इसमें प्रवाहित कर दी जाती है। कोयले की छायी, कारखाने का केमिकल तो इसमें जाता ही है। कई स्थानों पर सीवेज का पाइप टूट जाने से नालों के माध्यम से यह नदी में ही बहाया जा रहा है। हरमू नदी, हीनू नाले का पानी शहर की गंदगी को नदी में मिला रहा है। इन नदियों और नालों का (पीएच) टेस्ट किया गया तो वह (एसिडिक) था। नामकोम ब्लॉक के पास तो नदी के प्रवाह को ही रोक दिया गया है। सड़क का डाइवर्सन बनाने के लिए नदी को बालू भरी बोड़ियों से रोकने का काम किया गया।

बना। यह पूरी परियोजना का लाभ झारखंड (बिहार) को कम प. बंगाल व उड़ीसा का ज्यादा मिलेगा। पूरी परियोजना के लिए प्रस्तावित जमीन 38587 हेक्टेयर लगे। और सिर्फ चांडिल डैम के बनने में 116 गांव डूब गये। इससे 6820 परिवार यानी की 37556 की आबादी विस्थापित हुई। इनमें 1760 परिवार (लगभग 8720 लोग) आदिवासी व 450 परिवार (2290 आबादी) हरिजनों की है। इचा बांध जो खरकई नदी पर बनना है उससे 66 गांव डूबेंगे। जिनमें 25 पूर्णत: एवं 41 गांव अंशत:। इससे 12160 की आबादी विस्थापित होगी। इस विस्थापन में 1031 आदिवासी परिवार (5050 आबादी) और 59 दलित परिवार (310 व्यक्ति)। परियोजना के पूर्ण होने से (अविभाजित) बिहार में 160000 हेक्टेयर, उड़ीसा में 90000 हेक्टेयर और प. बंगाल में 5000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी। 30 मेगावाट जलविद्युत शक्ति का सृजन होगा। और परियोजना से 163000 पूर्णकालिक रोजगार का सृजन होगा। (उपरोक्त आंकड़े परियोजना के दस्तावेजों से लिये गये है) परंतु इनमें से एक भी बात सच नहीं हुई है और एक नयी परियोजना शुरू कर दी गयी है। सवाल है कि जो सरकारी आंकड़े पेश किये जा रहे हैं। उसके लिए इतना जल कहां से आएगा और इतनी बिजली का उत्पादन कैसे होगा? स्थानीय लोगों और स्वयंसेवी संगठनों ने इसका भरपूर विरोध किया पर नतीजा सिफर रहा। 'लोगों ने कहा कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा।' परंतु जो होना था वह हो गया। यदिसंपूर्णता में देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वर्णरेखा

परियोजना में जल उपलब्धि राष्ट्रीय औसत का मात्र 04 फीसदी ही है, परंतु क्षेत्र में विश्वबैंक के 45 अध्ययन दलों ने अलग-अलग समय में भ्रमण किया। जो अन्य परियोजनाओं की तुलना में बहुत अधिक है। इतने वैज्ञानिक दलों के बावजूद कई अवैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल हुआ।

परियोजना द्वारा तय पुनर्वास नीति में यह स्पष्ट रूप से लिखित है कि पुनर्वास का काम विस्थापितों द्वारा जगह बदलने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। परंतु यह आज तक पूरा नहीं हो पाया है। दस्तावेज में यह भी उल्लिखित है कि विस्थापितों के पूर्वजीवन स्तर की समस्थिति की बहाली, लगभग परिचित

परिवेश में बसाना, पर्याप्त मुआवजा देने की बात कही गयी है। परंतु दस्तावेज इन मुद्दों पर मौन है कि विस्थापन के कारण संस्कृति के संकट, शर्मीनिपदरंडों व विश्वासों की टूटन की क्षतिपूर्ति कौन करेगा। बहरहाल हम कुछ विस्थापितों के दर्द को देखें।

पुनर्वास पैकेज के अनुसार मकान का मुआवजा दिया जायेगा। पर पेड़ों का नहीं। क्योंकि पेड़ों की जड़ों के सड़ने से जलाशय का पानी प्रदूषित होता है। जिसे मुआवजा दिया गया है वह उससे हास्यास्पद स्थिति कुछ नहीं हो सकती। हुरलुंग गांव में एक इमली के पेड़ का मुआवजा ढाई रुपये दिया गया। गांववालों ने इसका माखौल उड़ाते हुए कहा कि एक बार जोर से इमली का पेड़ हिला दो 250 रुपये की इमली गिरेगी। पर वे मजबूर हैं और उनकी सुननेवाला भी कोई नहीं है। मोइसांडा के कृष्ण गोप के दो तालाबों का, भूषण गोप के एक तालाब का, लाल बिहारी के दो कुओं का, कल्याणपुर के शंभु महतो व कुर्मु महतो के कुंओं का भुगतान या मुआवजा नहीं मिला है। यह फेहरिश्त बहुत लम्बी है। पलाश के पेड़ का प्रति पेड़ 6 रु. मुआवजा दिया गया है। मोइसाड़ा गांव के कई परिवारों को पुनर्वास स्थल पर 25 एकड़ जमीन के बदले 5000 रुपये दिये गये है। क्या यह संभव है कि 5000 रुपये में 25 एकड़ जमीन खरीद ली जाये। जो मकान दिया गया है। उसके बारे में रामगोपाल कहते हैं कि मकान है पर ऐसा की जोर से आंधी आ जाये तो मकान ढह जायेगा। घरों की दीवारें 5 इंच मोटी है और बालू सीमेंट का अनुपात 1:8 की जगह 1:15 है। जल संसाधन विभाग के सेक्रेटरी डीके तिवारी के अनुसार परियोजना का उद्देश्य भूगर्भ जल को रोकना भी है। गंदगी फैलना रोकना है। पानी का प्रवाह बना रहे इस उद्देश्य से यह काम हो रहा है। परंतु विडंबना है कि चांडिल डैम बना कि सिंचाई होगी, किसान आबाद होंगे। लेकिन इस जल का इस्तेमाल इंडस्ट्री कर रही है और इसे प्रदूषित कर रही है।

अब सवाल यह उठता है कि स्वर्ण रेखा परियोजना को अमल में लाने की बात हो रही है क्या वह विस्थापन को रोकेगी। जल प्रदूषण को बचा पायेगी? अनुमानि बिजली का उत्पादन कर पायेगी और असिंचित भूमि को सिंचित करेगी? यदिइन सवालों का उत्तर ना हैं तो इतने पैसे लगाकर दुख और दर्द देने का अधिकार सरकार को किसने दिया है और इसके खिलाफ क्या उठने वाली आवाज अपने अंजाम तक पहुंच पायेगी।